प्रेषक

ओम प्रकाश वर्मा,

विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-3 लखनऊ:: दिनांक: 11-03-2026

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2025 26 हेतु UP 177 नेशनल मिशन ऑन एडिबिल ऑयल ऑयलसीड्स योजनान्तर्गत अनुदान सं0-81 हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-**ति0/1364/NMEO-OS/2025-26, दिनांक 11.02.2026 के संदर्भ में मुझे** यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु अनुदान सं0-81 के लेखाशीर्षक-2401 फसल कृषि कर्म-796-जनजाति क्षेत्र की उपयोजना -01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं -0109- नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन (ओ0एस0/टी0बी0ओ0) योजनान्तर्गत रू0 6.50 लाख (केन्द्रांश रु0 3.89535 लाख एवं राज्यांश रू0 2.59690 लाख) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित विवरणानुसार/शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रू0 में)

अनुदान संख्या/लेखाशीर्षक	मानक मद	बजट प्राविधान	अनुपूरक अनुदान	कुल प्राविधान	पूर्व में निर्गत वित्तीय स्वीकृति	स्वीकृत धनराशि
1नुदान सं0-81 के लेखाशीर्षक-2401 फसल कृषि कर्म-796-जनजाति क्षेत्र की उपयोजना -01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं -0109- नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन (ओ0एस0/टी0बी0ओ0) (के.60/रा.40-के.+रा.)	27-सब्सिडी	20.00	105.06	125.06	18.18	6.50

(छः लाख पचास हजार मात्र)

2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय अनुमोदित परियोजना/प्रस्ताव के अनुरुप भारत सरकार के दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

3. प्रस्ताव में ऑकड़ों की शुद्धता/बजट प्राविधान/निर्धारित परिव्यय की सीमान्तर्गत व्यय को सुनिश्चित कराने का उत्तरदायित्व कृषि निदेशक, उ0प्र0 का होगा एवं धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह कृषि निदेशक, उ0प्र0 का उत्तरदायित्व रहेगा।

4. केन्द्रांश अवमुक्त किये जाने विषयक भारत सरकार के पत्र दिनांक 04.02.2026 में निहित दिशा-निर्देशों को अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व कृषि निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ को होगा।

5. वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व कृषि निदेशक, उ0प्र0 के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाय। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

6- स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों/प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए तथा एस0एल0एस0सी0 द्वारा निर्दिष्ट भारत सरकार की सहमति के अनुसार किया जायेगा। कृषि निदेशक द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।

7. जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

8. विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

9. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण योजना की गाइडलाइन एवं तदविषयक भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

10. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए किया जायेगा।

12. उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय यू0ओ0 संख्या- E-1-272-X-2025-26-दिनांक:28-2-2026 द्वारा प्रदान की गयी उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

ओम प्रकाश् वर्मा

विशेष सचिव।

संख्या-3/2026/117(1)/12-3-2026-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।

3- सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

5- संबंधित कोषाधिकारी, लखनऊ।

6- संबंधित जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।

7- संबंधित जिला कृषि अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।

8- संबंधित संयुक्त निदेशक (प्रसार) नियोजन, दलहन मक्का, कृषि भवन, लखनऊ।

9- अपर कृषि निदेशक (तिलहन), उ0प्र0, कृषि भवन, लखनऊ।

10- नियोजन अनुभाग-3/राज्या योजना आयोग-2/वित्त ई-1,/कृषि अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन।

11- शासनादेश की वेबसाइट http://shasanadesh.up.nic.in पर अपलोड करने हेतु।

12- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश् वर्मा

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।